## PUBLIC WORKS DEPARTMENT

### BUILDINGS AND ROADS BRANCH

*ROHTAK CIRCLE*

The 8th January, 1988

No. 28RA/VI/199/818.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land below is needed by the Government, at public expenses, for a public purpose, namely, Constg. a road from Gurgaon-Bahadurgarh road section Badli to Iqbalpur road (Rohtak)- Chaudu-Badli road, it is, therefore, hereby declared that the land described in the specification below is required for the aforesaid purpose.

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 to all whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act, the Land Acquisition Collector, Haryana P.W.D. B&R., Branch, Rohtak is hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

Plans of land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Colletor, Haryana P. W. D., B. & R. Branch and Executive Engineer, Provincial Jhajjar.

### SPECIFICATION

| District | Tehsil | Locality/Village and Hadbast No. | Area in acres | Rectangle/ Killa No. |
|---|---|---|---|---|
| Rohtak | Bahadurgarh | Langarpur, H.B. No. 74 | 2.20 | Length 1595' Width 60' |
| | | | | 17 — 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| | | | | 18 — 5, 6, 7, 8/1, 14/1, 14/2, 15, 16, 17 |
| | | | | 22 — 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 25 |
| | | | | 23 — 10, 11, 12, 13, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| | | | | 26 — 2, 3, 4, 8, 9 |
| Rohtak | Bahadurgarh | Deverkhana, H. B. No. 75 | 9.70 | Length 7040' Width 60' |
| | | | | 8 — 4, 6, 7, 14 15, 16/1, 16/2 |
| | | | | 9 — 11, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23/1, 23/2 |

| District | Tehsil | Locality/Village and Hadbast No. | Area in acres | Rectangle/Killa No. |
|---|---|---|---|---|
| Rohtak | Bahadurgarh | Deverkhana H.B. No. 75—*concld* | | 14 / 11, 20/1, 20/2, 19, 21, 23, 26 / 20, 21/1, 21/2, 22 |
| | | | | 15 / 2, 3/1, 3/2, 4, 6, 7, 8/1, 8/2, 14, 15, 16/1, 16/2 |
| | | | | 22 / 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 7, 8/1, 8/2, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 25 |
| | | | | 23 / 20, 21, 22 |
| | | | | 27 / 1/1, 1/2, 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 13, 14i 16, 17, 18/1, 18/2, 20, 25/1, 25/2 |
| | | | | 39 / 1, 2, 3/1, 3/2, 7, 8, 9, 13/1, 13/2, 14, 24, 25/1, 25/2 |
| | | | | 40 / 21/1, 21/2, 41 / 1, 42 / 5/1, 5/2 |
| Rohtak | Bahadurgarh | Badhsa, H. B. No. 77 | 17·87 | Length 1550' Width 60' Path No. 190 |
| | | Total | 29·77 | |

(Sd.) . . .,

Superintending Engineer,

Rohtak Circle, P.W.D., B&R, Branch, Rohtak.

लोक निर्माण विभाग

भवन तथा सड़क शाखा

रोहतक वृत

दिनांक 8 जनवरी, 1988

सं. 28RA/199/VI/818.—चूंकि हरियाणा सरकार के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक खर्चे पर, किसी सार्वजनिक प्रयोजन नामत: सड़क निर्माण गुड़गांवा-बहादुरगढ़ रोड सैक्शन बादली से इकबालपुर (रोहतक) (चन्दू बादली रोड़) के लिए अपेक्षित है एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

यह घोषणा 1894 के भूमि अभिग्रहण की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिए है जिनसे वह सम्बन्धित हो और उक्त अधिनियम 7 की धारा के उपबन्धों के अधीन जिला राजस्व अधिकारी-कम-भूमि कलैक्टर, लो० नि० वि०, भ० तथा मा० शाखा, रोहतक को उक्त भूमि अभिग्रहण करने के आदेश लेने के लिए निर्देश दिया जाता है।

भूमि के नक्शे का अभिग्रहण जिला राजस्व अधिकारी-कम-भूमि कलैक्टर, लो० नि० वि०, भवन तथा मार्ग शाखा, रोहतक और कार्यकारी अभियन्ता, प्रान्तीय मण्डल नं० 1 कार्यालयों में देखा जा सकता है।

विशिष्ट विवरण

| जिला | तहसील | परिक्षेत्र/गांव, हदबस्त नं० | क्षेत्रफल | खसरा नं० |
|---|---|---|---|---|
| 1. रोहतक | बहादुरगढ़ | लगरपुर, हदबस्त नं. 74 | 2.20 | लम्बाई 1595'<br>चौड़ाई 60'<br>17<br>11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24<br>18<br>5, 6, 7, 8/1, 14/1, 14/2, 15, 16, 17,<br>22<br>1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 25<br>23<br>10, 11, 12, 13, 18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25<br>26<br>2, 3, 4, 8, 9 |
| 2. रोहतक | बहादुरगढ़ | देवरखाना, हदबस्त नं. 75 | 9.70 | लम्बाई 7040'<br>चौड़ाई 60'<br>8 — 4, 6, 7, 14, 15, 16/1, 16/2<br>9 — 11, 19, 20/1,<br>9<br>20/2, 21, 22, 23/1, 23/2<br>14<br>10, 20/1, 20/2, 19, 21, 22, 23 |

| जिला | तहसील | परिक्षेत्र/गांव हदबस्त नं. | क्षेत्रफल | खसरा नं. |
|---|---|---|---|---|
| 2. रोहतक | बहादुरगढ़ | देवरखाना, हदबस्त नं० 75— समाप्त | 9.70 | $\frac{26}{20,\ 21/1,\ 21/2\ 22}$, $\frac{15}{2,\ 3/1,\ 3/2,\ 4,\ 6,\ 7}$,<br>$\frac{15}{8/1,\ 8/2,\ 14,\ 15,\ 16/1,\ 16/2}$,<br>$\frac{22}{2/1,\ 2/2,\ 3/1,\ 3/2,\ 7,\ 8/1,\ 8/2,\ 13/1,\ 13/2,}$ 14, 15, 16, 17/1, 17/2, 25<br>$\frac{23}{20,\ 21,\ 22}$, $\frac{27}{1/1,\ 1/2,\ 2,\ 3,\ 7,\ 8,\ 9,\ 12}$,<br>$\frac{27}{13,\ 14,\ 16,\ 17,\ 18/1,\ 18/2,\ 20,\ 25/1,\ 25/2}$,<br>$\frac{39}{1,\ 2,\ 3/1,\ 3/2,\ 7,\ 8,\ 9,\ 13/1,\ 13/2,\ 14,}$ 24, 25/1, 25/2<br>$\frac{40}{21/1,\ 21/2}$, $\frac{41}{1}$, $\frac{42}{5/1,\ 5/2}$, |
| 3. रोहतक | बहादुरगढ़ | बाढसा, हदबस्त नं. 77 | 17.87 | लम्बाई 1550′<br>चौड़ाई 60′<br>पथ नं० 190 |
| | | कुल रकबा | 29.77 | |

(हस्ताक्षर) . . . ,

अधीक्षक अभियन्ता,

रोहतक परिमण्डल, लो०नि०वि०,भ० तथा स० शाखा,

रोहतक ।

## श्रम विभाग

दिनांक 12 नवम्बर, 1987

सं० ओ० वि०/पानीपत/128-87/45379.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० दी पानीपत को-ओप्रेटिव शूगर मिल्ज (डिस्टलरी यूनिट) लि०, पानीपत, के श्रमिक श्री राममेहर सिंह, पुत्र अन्तु राम, गांव व डा० जलालपुर, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम, न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री राममेहर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 18 नवम्बर, 1987

सं० ओ० वि०/भिवानी/155-87/46411.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० 1—प्रबन्धक निदेशक, दी हरियाणा स्टेट फेडरेशन कन्जुमरज कोप्रेटिव होल सेल्ज स्टोरेज लि० (कनफेड), एस. सी. ओ. 1014-15, सैक्टर 22-बी, चण्डीगढ़ ; 2. प्रबन्धक, कनफैड, जीन्द, के श्रमिक श्री जौरा सिंह, पुत्र श्री पृथी सिंह मार्फत डा० ओ० पी० पहल, पटियाला चौक, जीन्द तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री जौरा सिंह सेल्जमैन की सेवाओं का समापन/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ०वि०/हिसार/152-87/46419.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० उपायुक्त सिरसा, 2. इण्डियन रेड क्रास सोसाईटी रेड क्रास भवन, बेंगु रोड़, सिरसा, के श्रमिक श्रीमति लाल देवी, विधवा श्री बालक राम, गांव व डा० सुचान कोटली (मण्डी) तहसील व जिला सिरसा तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं०9641-1-श्रम 78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है:—

क्या श्रीमती लाल देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

सं० ओ० वि०/हिसार/153-87/46426.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० उप-कुलपति, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, 2. व्हीट ब्रीडर विभाग प्लांट ब्रीडिंग हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, के श्रमिक श्री हरी ओम, पुत्र श्री हर लाल, गांव व डा० तलवन्डी राणा, जिला हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित है :—

क्या श्री हरी ओम की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं गैर हाजिर होकर लियन खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ?

आर. एस. अग्रवाल,
उप-सचिव हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।